

# पंजीकरण पुस्तिका

गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर  
परिषद की स्ववित्त पोषित बहुमंजिली आवासीय परियोजना-2014  
के अन्तर्गत

## नन्दिनी एन्क्लेव, सेक्टर-3 एवं गंगोत्री एन्क्लेव सेक्टर-8 अवध विहार योजना

सुल्तानपुर रोड (शहीद पथ), लखनऊ

में एफ-64 प्रकार के  
फ्लैट्स प्राप्त करने का  
सुनहरा अवसर



ऑनलाइन पंजीकरण के लिए :  
[www.upavp.com](http://www.upavp.com)  
पर लागू आन करें।


पंजीकरण  
01 अक्टूबर, 2014  
से प्रारम्भ



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226 001  
Website: <https://www.upavp.com>; E-mail: [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)

# KEY PLAN



## शहर के प्रमुख स्थलों से दूरी :



एयर पोर्ट - 10 कि.मी.



हज़रतगंज - 5 कि.मी.



पी.जी.आई - 4 कि.मी.



चारबाग रेलवे स्टेशन - 8 कि.मी.




शहीद पथ - 0.0 कि.मी.



गोमतीनगर - 3 कि.मी.



# Sector Wise Plan





उनके लिए जो चाहते हैं  
बेहतर जीवन शैली



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ-226 001

Website: <https://www.upavp.com>; E-mail: [upavp@sancharnet.in](mailto:upavp@sancharnet.in)

पुष्टिबद्ध मूल्य  
₹ 500 (476+20+23.80 टैट सहित)

maheshwari & sons  
maheshwaripress@gmail.com  
Lucknow (0522) 4071816



## उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

### उद्देश्य

- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना ।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना ।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे-विद्युत- आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है । इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित हो सके ।

परिषद जन-साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त सहकारी समितियों एवं सार्वजनिक संस्थाओं को भी आवासीय भवन एवं विकसित भूखण्ड उपलब्ध कराती है ।

परिषद की योजनाओं में सम्पत्ति के प्रदेशन के लिये पंजीकृत व्यक्तियों के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लाटरी द्वारा किया जायेगा ।





- नन्दिनी एन्क्लेव सेक्टर-3
- गंगोत्री एन्क्लेव सेक्टर-8

## अवध विहार योजना

सुल्तानपुर रोड (शहीद पथ), लखनऊ

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ पेश करते हैं आवासीय सुविधाओं से सुसज्जित अति विशिष्ट उपनगरी अवध विहार योजना में स्ववित्त पोषित बहुमंजिली (स्टिक्ट + 7) आवासीय परियोजना-2014 के अन्तर्गत फ्लैट्स प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

नन्दिनी एन्क्लेव सेक्टर-3 तथा गंगोत्री एन्क्लेव सेक्टर-8 में स्थित है। इस परियोजना में निम्न प्रकार के 2 BHK फ्लैट्स का निर्माण प्रस्तावित है।

1 एफ-64 प्रकार के 2 BHK फ्लैट्स में प्लिन्थ एरिया 53.99 वर्गमी. व सुपर एरिया 63.63 वर्गमी. है।

इस योजना का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को उनकी क्रय सामर्थ्यानुसार उच्च गुणवत्ता वाले अफोर्डेबुल फ्लैट्स उपलब्ध कराना है। परियोजना की मुख्य विशेषता अमर शहीदपथ के समीप इसकी लोकेशन स्थल है।

## टाउनशिप की प्रमुख विशेषताएं

- 'Integrated Planning and Design' के आधार पर परिकल्पित।
- कुल भू-भाग का 75 प्रतिशत भाग खुले स्थल और ग्रीनरी के लिए प्रयुक्त तथा 25 प्रतिशत पर निर्माण।
- एनट्रेन्स गेट/प्लाजा तथा सभी सेक्टर्स में सुरक्षा की दृष्टि से गेट का प्राविधान।
- टाउनशिप में फाइव स्टार होटल, मल्टीप्लेक्स / शॉपिंग माल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, उच्च स्तरीय तकनीकी / प्रबंधन संस्थानों हेतु समुचित व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों के आधार पर दुर्बल आय वर्ग और अल्प आय वर्ग के लिए टाउनशिप के अन्दर ही आवासीय योजनाएं।
- टाउनशिप की चौड़ी सड़कों, बड़े चौराहों, रेलवे ओवरब्रिज के द्वारा सुल्तानपुर रोड, रायबरेली रोड, वृन्दावन योजना, गोमती नगर विस्तार योजना, पी.जी.आई., एयरपोर्ट आदि से सीधी कनेक्टिविटी।
- सम्पूर्ण टाउनशिप में भूमिगत विद्युतीकरण, ड्रेनेज व्यवस्था।
- योजनान्तर्गत भूमिगत गैसपाईप लाईन की व्यवस्था।
- सुल्तानपुर रोड से योजना के मध्य में 45 मी. चौड़ी मास्टर प्लान सड़क जो उत्तरठिया रेलवे स्टेशन के निकट Railway over bridge द्वारा वृन्दावन योजना से होती हुई पी.जी.आई. एवं रायबरेली रोड को जोड़ेगी।



# FRONT ELEVATION F-64 TYPE OF FLATS






# BLOCK F-64 2 BHK UNIT PLAN

2 BHK, 2 TOILETS, 2 BALCONIES

BUILTUP COVERED AREA = 53.99 SQM (581.15 SQFT)

SUPER AREA = 63.63 SQM (684.91 SQFT)



KEY PLAN





## BLOCK F64- 2BHK CLUSTER PLAN

2BHK, 2 TOILETS, 2 BALCONIES

UNIT AREA= 53.99 SQM. (581.15 SQFT)


CIRCULATION AREA= 115.73 SQM (1245.72 SQFT)

SUPER AREA OF UNIT= 63.63 SQM (684.91 SQFT)



# नन्दिनी एनक्लेव - सेक्टर-3


# बे-आउट प्लान





गंगोत्री एनक्लेव - सेक्टर-8

बे-आउट प्लान



## उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अवध विहार योजना के (S + 7) बहुमंजिले आवासीय फ्लैट्स का विवरण

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	सुपर एरिया (वर्ग.मी.)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग. मी.)	प्राविधान
1.	F-64	63.63	53.99	1 ड्राइंग कम डायनिंग रूम, 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 ट्वायलेट, 1 डब्लू सी, 2 बालकनी।

क्र.सं.	फ्लैट का प्रकार	सेक्टर-3 नन्दिनी एन्क्लेव	सेक्टर-8 गंगोत्री एन्क्लेव	सुपर एरिया (वर्गमी.)	प्रस्तावित विक्रय मूल्य (रु. लाख में)	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख)	चयन के पश्चात मांग पत्र निर्गत करने के 30 दिन के अन्दर देय धनराशि (रु लाख में)	अवशेष भुगतान नौ त्रैमासिक किश्तों में (प्रत्येक किश्त की धनराशि) (रु. लाख में)
		फ्लैट्स की संख्या	फ्लैट्स की संख्या					
1.	F-64	50	110	63.63	22.00	1.10	2.00	2.10



## 1. फलैट्स की विशिष्टियां

स्ट्रक्चर	:	भूकम्परोधी निर्माण
फर्श	:	ड्राइंग-डायनिंग एवं बेडरूम, विट्रीफाइड टाइल्स तथा कामन क्षेत्र में कोटा स्टोन।
ट्वायलेट	:	फर्श पर ऐन्टी स्किड एवं दीवारों पर सेरेमिक टाइल्स।
किचन	:	फर्श पर ऐन्टी स्किड टाइल्स कुकिंग प्लेटफार्म पर ग्रेनाइट/प्लेटफार्म के ऊपर सेरेमिक टाइल्स तथा स्टेनलेस स्टील का सिंक।
चौखट	:	दरवाजे मलेशिया सालवुड तथा खिड़कियाँ – एंगिल आयरन।
दरवाजे	:	मुख्य दरवाजा डिजाइनर डोर शटर एवं शेष आई.एस.आई. मार्क फ्लश डोर शटर्स।
खिड़कियां	:	प्री लैमिनेटेड वुडशटर-मच्छर जाली सहित।
डोर/विंडो फिटिंग्स	:	आई.एस.आई. मार्क एल्यूमिनियम फिटिंग्स।
रंग-रोगन	:	अन्य दीवारों तथा छत पर आयल बाउण्ड डिस्टेम्पर, बाहरी सतह पर वाटर प्रूफ बेदर कोट फिनिशिंग, दरवाजों पर एनामिल पेन्ट/पालिश।
जलापूर्ति	:	सभी फलैट हेतु छत पर आर.सी.सी. का संयुक्त टैंक।
विद्युत	:	अग्निरोधक पी.वी.सी. कापर कन्सीलड वायरिंग एवं गीजर व ए.सी. प्वाइन्ट का प्राविधान।
स्टेयर केस	:	कोटा स्टोन, एम.एस. आयरन पाइप रेलिंग।
लिफ्ट	:	प्रत्येक ब्लॉक में 02 नग लिफ्ट।
पावर बैकअप	:	कारीडोर+लिफ्ट हेतु।

## 2. अन्य शर्तें

- 2.1 उक्त उल्लिखित मूल्य अनुमानित हैं। फ्लैट्स का निर्माण 30 माह में किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार ही अन्तिम मूल्य देय होगा। अतः नियत किशतों की धनराशि घट-बढ़ सकती है। सम्पत्ति के वर्तमान में निर्धारित अनुमानित मूल्य में, अपरिहार्य कारणों जैसे भवन निर्माण सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि या श्रमिक मजदूरी में वृद्धि होने पर परिवर्तन संभव है।
- 2.2 सुपर एरिया की गणना में पार्किंग क्षेत्रफल को सम्मिलित नहीं किया गया है। अलग-अलग फ्लैटों का आवंटन लाटरी के माध्यम से होगा।
- 2.3 फ्लैट्स की टाइप डिजाइन व ले-आउट में आवश्यकतानुसार आंशिक परिवर्तन हो सकता है।
- 2.4 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय तल के फ्लैट्स के आवंटियों को लोकेशन चार्ज के रूप में विक्रय मूल्य का क्रमशः 3, 2 व 1 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य देय होगा।
- 2.5 प्रत्येक ब्लॉक में निर्मित फ्लैट की संख्या के नार्म्स के अनुरूप स्टिल्ट पार्किंग हेतु प्राविधान किया गया है जिसकी अनुमानित लागत रु. 1.50 लाख है। स्टिल्ट पार्किंग का आवंटन इच्छुक क्रेताओं के मध्य लाटरी से होगा। यह धनराशि प्रत्येक दशा में विक्रय विलेख निष्पादन एवं पंजीयन के पूर्व आवंटी को भुगतान करनी होगी।
- 2.6 प्रत्येक आवंटी को एनक्लेव के कुल सुपर एरिया में आवंटित सुपर एरिया के अनुपात में ही एन्क्लेव की भूमि में फ्री होल्ड चार्ज तत्समय में प्रचलित दर पर अतिरिक्त देय होगा।
- 2.7 परिसर का रख-रखाव प्रथम कब्जे की तिथि से 02 वर्ष तक परिषद द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके उपरान्त फ्लैट्स का रखरखाव "रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी" द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक आवंटी को वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा।
- 2.8 फ्लैट्स का भौतिक कब्जा आवंटी को प्रदान करने की तिथि से दो वर्ष तक अनुरक्षण व्यय हेतु आवंटी को "कार्पस फण्ड" में निर्धारित धनराशि पंजीयन (रजिस्ट्री) के पूर्व जमा करनी होगी। यह धनराशि टाइप एफ-64 हेतु रु. 0.75 लाख देय होगी। योजना में सर्वप्रथम व्यक्ति को दिये गये कब्जा की तिथि से दो वर्ष के बाद सामान्य सेवाओं के मेन्टीनेन्स का कार्य आवंटियों की उपरोक्त कार्पस फण्ड की अवशेष बची धनराशि सहित रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी को हस्तगत कर दिया जायेगा। तत्पश्चात सोसाइटी द्वारा उक्त योजना की सामान्य सुविधाओं को बनाये रखने हेतु होने वाला व्यय आवंटियों की समिति को अपने श्रोतों से करना होगा। निर्धारित रख-रखाव व्यय भौतिक कब्जा प्राप्त करने की तिथि से आवंटी द्वारा प्रतिमाह देना होगा।
- 2.9 सुरक्षा एवं सुविधा हेतु एन्क्लेव परिसर की बाउण्ड्रीवाल का प्राविधान किया गया है। परिसर में मल्टी परपस हाल/कम्प्यूनिटी सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित है जिसकी लागत उक्त मूल्य में सम्मिलित है।
- 2.10 परिसर का नियमित रख-रखाव प्रथम कब्जा की तिथि से दो वर्ष हेतु रु. 1.00 प्रतिवर्गफुट की दर से प्राविधानित किया गया है, जिसके बाद में परिषद/सोसाइटी को कम व अधिक करने का अधिकार होगा।
- 2.11 यदि भविष्य में राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा अलग से कोई टैक्स जैसे-वैट, सर्विस टैक्स, जी.एस.टी. आदि आरोपित किया जाता है अथवा प्रचलित दरों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आवंटी को वहन करना होगा।



### 3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 स्ववित्त पोषित फ्लैट हेतु आय सीमा एवं सम्पत्ति सीमा का प्रतिबन्ध नहीं है।

### 4. पंजीकरण के नियम

- 4.1 आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र भरने के लिये निर्देशों का अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि प्रार्थना-पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये।
- 4.2 पंजीकरण हेतु निर्धारित बैंक से पंजीकरण पुस्तिका क़य करके आवेदन पत्र सही व पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित तिथि तक चिन्हित बैंक की किसी निर्धारित शाखा में अन्तिम तिथि से पूर्व वांछित संलग्नको व पंजीकरण धनराशि सहित जमा करना होगा।
- 4.3 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमत्त है। विशेष परिस्थितियों में पंजीकरण का हस्तान्तरण पति-पत्नी के मध्य नियमानुसार किया जा सकेगा। पंजीकृत आवेदक के साथ किसी अन्य आवेदक के नाम जोड़ने अथवा पंजीकरण के अन्तरण की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 4.4 यदि कोई आवेदक पंजीकरण पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसके आवेदन करने पर जमा धनराशि परिषद के नियमानुसार सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय द्वारा वापस कर दी जायेगी तथा पंजीकरण निरस्त समझा जायेगा। ऐसा निरस्त पंजीकरण बाद में पुनर्जीवित नहीं किया जा सकेगा।
- 4.5 मांग पत्र निर्गमन के पश्चात् तीन माह के अन्दर आवेदक अपनी पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज उसे वापस कर दी जायेगी। किन्तु तीन माह पश्चात् ऐसा आवेदन करने पर 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी एवं पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा। पंजीकरण धनराशि प्राप्ति हेतु चालान की रसीद आवेदन पत्र के साथ संबंधित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में जमा करनी होगी। इस प्रकार निरस्त कराये गये पंजीकरण के बाद में पुनर्जीवित करने के लिये किसी प्रकार का दावा मान्य / स्वीकार नहीं होगा।

- 4.6 फलैट्स निर्माण में विलम्ब के कारण यदि किसी आवंटी को अन्तिम किशत जमा करने के छः माह बाद तक भी परिषद फलैट्स आवंटित नहीं कर पाता है तो आवंटी की जमा धनराशि अन्तिम किशत जमा करने के आगामी माह से, धनराशि वापसी की मांग के पूर्व माह तक, परिषद के नियमानुसार तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज सहित वापस कर दी जायेगी।
- 4.7 यदि किन्ही कारणों से परिषद द्वारा यह योजना संचालित न करने का निर्णय लिया जाता है तो पंजीकृत आवेदकों की जमा धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। किन्तु इस स्थिति में धनराशि के एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने की स्थिति में ही तत्समय राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खाते पर देय ब्याज दिया जायेगा।
- 4.8 इस योजना के अर्न्तगत प्रत्येक आवेदक को परिषद फलैट्स देने के लिए बाध्य नहीं होगी और यदि किसी आवेदक को सम्पत्ति आवंटित नहीं हो पाती है तो आवेदक इसके लिए परिषद से किसी प्रकार का हर्जाना प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

## 5. भुगतान का तरीका

- 5.1 पंजीकरण आवंटन की वैधता बनाये रखने हेतु मांग पात्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर देय निर्धारित भुगतान करना अनिवार्य होगा।
- 5.2 भुगतान की तिथि एवं किशतों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन आवंटन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा। मांग पत्र निर्गमन तिथि से प्रथम किशत की धनराशि 30 दिन के अन्दर तथा शेष धनराशि 09 त्रैमासिक किशतों में परिषद द्वारा निर्दिष्ट बैंक द्वारा प्राप्त कराये गये विशेष जमा पर्ची के माध्यम से नगद/पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो UPHDB (SFS-2014) LUCKNOW पर देय हों जमा करनी होगी अथवा सम्बन्धित कार्यालय सम्पत्ति प्रबंध में पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जमा की जा सकेगी।
- 5.3 चयनित आवेदक को मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 1 माह के अन्दर फलैट के सम्पूर्ण देय मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर फलैट के विक्रय मूल्य के 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।
- 5.4 यदि मांग पत्र में दर्शाये गये विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक वांछित भुगतान नहीं किया गया तो किशत की देय धनराशि पर विलम्ब अवधि के लिए, जो अधिकतम 03 माह होगी, परिषद, नियमानुसार साधारण ब्याज के साथ निर्धारित ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान निर्धारित किशतों की धनराशि के साथ करना होगा अन्यथा पंजीकरण/आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।



- 5.5 यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि से 3 माह के अन्दर देय किश्त की निर्धारित मूल धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उसका पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा और जमा की गयी धनराशि की वापसी परिषद के नियमों के अनुसार पंजीकरण धनराशि में से निर्धारित कटौती करते हुए बिना ब्याज के की जायेगी।
- 5.6 नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर/शुल्क, गृहकर, जलकर, आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।
- 5.7 पंजीकरण के उपरान्त मांग पत्र के अनुसार देय किश्तों की धनराशि का भुगतान अधिकृत बैंक में नगद/पे-आर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट से किश्त जमा करने की दशा में UPHDB (SFS-2014) LUCKNOW के नाम पे आर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो सम्बन्धित शहर में देय हो, मांग-पत्र में अधिकृत बैंक को पंजीकरण संख्या आवेदक का नाम, योजना का नाम फ्लैट की श्रेणी आदि विवरण सहित जमा करना होगा।

## 6. आवंटन नियम :

- 6.1 परिषद / शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण पात्रता झा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 6.2 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध फ्लैट्स की संख्या से अधिक होने पर लाटरी के आधार पर पात्र आवेदकों का चयन किया जायेगा। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के नियमानुसार बैंक द्वारा ही वापस कर दी जायेगी।
- 6.3 योजना में प्रस्तावित फ्लैट से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में आवेदकों के नाम की पर्चियों को एक साथ डालकर लाटरी द्वारा फ्लैट की उपलब्धता के अनुसार पात्रता निर्धारित की जायेगी।
- 6.4 आवंटन के समय या उससे पहले व बाद में आवेदक का परिवर्तन के विषय में कोई दावा मान्य परिवर्तनीय नहीं होगा।
- 6.5 समस्त चयनित आवेदक/पात्र समान होंगे। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार चयन हो जाने के उपरान्त लाटरी पद्धति से ही फ्लैट की संख्या का आवंटन किया जायेगा।

एन्क्लेव के अन्दर सम्मिलित सभी पात्र आवेदकों के मध्य लाटरी डालते समय ग्रुप के सदस्य के नाम के साथ ग्रुप का उल्लेख भी कर दिया जायेगा। अब लाटरी द्वारा फ्लैट संख्या-1 ऊर्ध्व दिशा में (ग्राउण्ड फ्लोर से ऊपर की ओर) से लाटरी के आधार पर क्रमवार फ्लैट संख्या आवंटित किया जायेगा। जहाँ कहीं किसी ऐसे आवेदक का नाम लाटरी में निकलता है जो किसी ग्रुप का सदस्य है तो उस ग्रुप की सम्पूर्ण संख्या के फ्लैटों को लगातार संख्या आरक्षित करते हुए अगला चयन उसके आगे के फ्लैट नम्बर हेतु किया जायेगा।

किन्तु ग्रुप के लिये लगातार फ्लैटों की एक साथ संख्या आरक्षित करते समय आवंटन समिति अपने विवेक से ग्रुप के सदस्यों को एक साथ रखने के उद्देश्य से लाटरी के क्रम में आये नम्बरों से ठीक आगे के सम्पूर्ण फ्लैट के नम्बर एक साथ आवंटित कर सकेगी। ताकि ग्रुप को एक साथ रखे जाने का प्रयोजन सही प्रकार पूर्ण हो सके। लाटरी में आने वाले अगले नम्बर पर चयनित आवेदक को रिक्त नम्बरों में से क्रमवार फ्लैट आवंटित किये जायेंगे। इस सीमा तक आवंटन समिति का पूर्ण अधिकार होगा। इस विषय में उदाहरण निम्नवत है :-

#### उदाहरण :

मानो किसी टावर में प्रत्येक तल पर चार फ्लैट हैं तथा टावर में 6 मंजिलों पर नीचे से क्रमवार फ्लैट संख्या 1 से 24 स्थित है। यदि चार चिकित्सकों का एक ग्रुप एक साथ रहना चाहता है किन्तु इस ग्रुप के पहले सदस्य की लाटरी क्रमांक-15 या 16 पर निकलती है तो ऐसी स्थिति में सीरिज में आवंटन से उनका ग्रुप दो तलों पर बंट जायेगा। जबकि उन्हें एक ही तल पर समायोजित किया जाना संभव है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त समस्त चारों चिकित्सकों हेतु अगले तल पर अर्थात् फ्लैट संख्या-17 से 20 आरक्षित किये जायेंगे तथा वर्तमान लाटरी में निकले चिकित्सक को फ्लैट संख्या-17 आवंटित किया जायेगा। इस ग्रुप के अन्य सदस्यों को लाटरी में नाम आने के क्रम में फ्लैट संख्या-18, 19 एवं 20 आरक्षित किया जायेगा। लाटरी में अगले व्यक्ति जो इस ग्रुप का नहीं है उसे क्रमवार रिक्त स्थान अर्थात् 15/16 से क्रमानुसार ही आवंटन किया जायेगा। नम्बर 16 के उपरान्त अगले चयनित आवेदक को नम्बर 21 का फ्लैट आवंटित होगा।

- 6.6 सामान्यतः पंजीकरण एवं पात्रता चयन/आवंटित फ्लैट्स का परिवर्तन नहीं किया जायेगा। विशेष कारणों/परिस्थितियों में व आवंटी की प्रार्थना पर पंजीकरण एवं आवंटित फ्लैट का परिवर्तन नियमानुसार रिक्त के विरुद्ध परिषद द्वारा निर्धारित परिवर्तन शुल्क देने की शर्त के अधीन आवास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है। यह परिवर्तन फ्लैट का विक्रय विलेख-निष्पादन एवं पंजीकरण से पूर्व ही अनुमन्य होगा।
- 6.7 ग्रुप को एक साथ समायोजित किये जाने के उद्देश्य से दोनों एन्क्लेवों के मध्य अथवा किसी एन्क्लेव के अन्दर फ्लैट संख्या परिवर्तन अथवा व्यवस्था सृजन का विशेषाधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।



## 7. आरक्षण :

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक / सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अन्तर्गत कार्यरत हों।
7	वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	3	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ नियत सैनिक अधिकारी /अधिकृत प्राधिकारी के प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
8	समाज के विकलांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
9	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।
10	विदेशी मुद्रा से सम्पत्ति क्रय करने के इच्छुक भारतीय नागरिक	नकद के अनुसार	पंजीकरण जमा की धनराशि तथा मांग पर शेष मूल्य विदेशी मुद्रा (यू.एस. डालर, पौण्ड, स्टर्लिंग, जर्मन मार्क, जापानी येन, स्विस्, फ्रैंक, दीनार) से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित कराकर देनी होगी। आवंटन केवल नकद क्रय आधार पर होगा। पंजीकरण आवेदन-पत्र के पंजीकरण जमा धनराशि के विदेशी मुद्रा में परिवर्तित होने का सम्बन्धित बैंक का प्रमाण पत्र संलग्न करना है।

नोट:- 1. उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 10 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषदादेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे आवेदक अनारक्षित श्रेणी के आवेदक माने जायेंगे।

**हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।**

7.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण-पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

**भूविस्थापितों के लिये प्राविधान :-**

भूविस्थापितों को शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुरूप वरीयता देय होगी। भू-विस्थापितों का तात्पर्य ऐसे आवेदकों से है जिसकी भूमि/भवन को परिषद द्वारा उस योजना हेतु अधिगृहीत किया गया हो। इस हेतु सक्षम अधिकारी (भूमि अध्याप्ति अधिकारी) का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

## 8. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 8.1 पात्रता चयन के पश्चात् असफल आवेदको को यथा सम्भव एक माह के अन्दर बैंक द्वारा सीधे धनराशि आवेदक द्वारा दिये गये बैंक एकाउन्ट के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

## 9. फ्लैट्स का कब्जा

- 9.1 फ्लैट्स का निर्माण मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 30 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 9.2 आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट का मूल्य व अन्य समस्त देय सहित परिषद खाते में भुगतान फ्लैट के पंजीयन / सेल डीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं पंजीयन (निबन्धन) के बाद भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 9.3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सूचित अवधि में फ्लैट का कब्जा न लेने पर आवंटी को नियमानुसार विलम्ब शुल्क देना होगा। तत्पश्चात् निबन्धन से विलम्बतम तीन माह तक कब्जा न लेने पर उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को फ्लैट का आवंटन निरस्त करने का अधिकार होगा।

## 10. तथ्यों का छिपाना

यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण / आवंटन / निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

## 11. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्तें

- 11.1 योजना आवासीय है। अतः फ्लैट का प्रयोग केवल आवास हेतु किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट में किसी प्रकार का निर्माण या परिवर्धन अनुमन्य नहीं है। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही की जा सकेगी एवं आवंटन विक्रय-विलेख निष्पादन एवं उसका पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त शासन / परिषद के नियम, आदेश व निर्णय आवंटी पर प्रभावी होंगे।
- 11.2 सर्वोच्च मंजिल की छत पर किसी आवंटी विशेष का अधिकार नहीं होगा तथा यह उसी टावर के समस्त रेजीडेन्ट्स की सामुदायिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहेगा।



- 11.3 यदि आवंटी/आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसका पंजीकरण/आवंटित फ्लैट उसके उत्तराधिकारी द्वारा पंजीकरण /फ्लैट परिवर्तन करने हेतु परिषद के नियमानुसार आवश्यक अभिलेख यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इन्डमिनिटी बॉण्ड आदि उपलब्ध कराने पर विवाद न होने की दशा में परिवर्तन अनुमन्य होगा।
- 11.4 पुस्तिका में असमावेशित रह गयी शर्तों के विषय में सम्बन्धित शासनादेशों व परिषदादेशों के प्राविधान प्रभावी होंगे।
- 11.5 किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य किन्ही अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा सूचित किये गये आवंटित सम्पत्ति के मूल्य में परिवर्तन करना पडा तो उसका भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 11.6 किसी भी प्रकार के वाद का परिक्षेत्र लखनऊ होगा।
- 11.7 सम्पत्ति का अन्तिम मूल्य प्रथम किशत की तिथि पर लागू होगा सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य में बाजार दर में वृद्धि होने पर वृद्धि सम्भावित है। 20 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर आवेदक यदि चाहे तो अपनी पूरी धनराशि बिना किसी कटौती के बिना ब्याज के प्राप्त कर सकता है।
- 11.8 आवंटन तक इस योजना की किसी शर्त में संशोधन का अन्तिम अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा तथा ऐसे संशोधन प्रभावी होंगे। भविष्य में परिषद द्वारा समय-समय पर यदि कोई नियम/ शर्तें लागू होंगी तो वह आवेदक को मान्य होगी।



अवध विहार योजना सुल्तानपुर रोड (शहीद पथ) लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजना 2014 के अन्तर्गत सेक्टर 3 नन्दिनी एन्क्लेव एवं सेक्टर-8 गंगोत्री एन्क्लेव में एफ-64 प्रकार के बहुमंजिले फ्लैट्स हेतु पंजीकरण पुस्तिका (आवेदन पत्र) निम्न बैंक शाखाओं से प्राप्त किये जा सकते हैं

पंजीकरण 01 अक्टूबर 2014 से प्रारम्भ

आवेदन पत्र जमा करने हेतु अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर 2014

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा / पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं.
1.	बैंक आफ बड़ौदा	हीवेट रोड, लखनऊ	श्री ए. कुमार मुख्य प्रबंधक	0522-2626997 0522-4049500 8090001084
		अलीगंज, लखनऊ	श्री संजीव आनन्द शाखा प्रबंधक	0522-2334793 933616877
2.	पंजाब नेशनल बैंक	ए-58 साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ	श्री वीरेन्द्र पाठक वरिष्ठ प्रबंधक	8173000182 0522-2440023 0522-2440028

पंजीकरण पुस्तिका (आवेदन पत्र) सम्बन्धित बैंकों एवं प्रचार अनुभाग, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ दूरभाष : 0522-2239611 से रु. 500/- (476.20 + 23.80 वैट) नकद/पेआर्डर/बैंक ड्राफ्ट जो UPHDB (SFS-2014)-Lucknow के नाम देय हो द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। डाक द्वारा आवेदन पत्र मगाने हेतु डाकखर्च रु. 50.00 अतिरिक्त देय होगा।



## आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देश:-

- 1 आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी में भर सकते हैं। आवेदन पत्र काले अथवा नीले वाल प्वाइन्ट पेन से भरा जायें
- 2 आवेदन पत्र में नाम (क़मांक 5 का) हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से भरा जाय।
- 3 आवेदन पत्र कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा सत्यापित किये जाने हैं। अतः अंग्रेजी में अपेक्षित सूचनाएं भरते समय अपेक्षित है कि इस आवेदन-पत्र के ब्लॉक (BLOCK) को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में ही भरें। हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किये जा सके हैं।
- 4 आवेदक केवल अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप का ही प्रयोग करें जैसे : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 5 आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान लगाना है तथा इस प्रकार हस्ताक्षर किये जाये कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पत्र पर एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर आये। संयुक्त आवेदक (पति-पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ लगाया जाना अपेक्षित होगा
- 6 एक ब्लॉक (BLOCK) में एक ही वर्ण (अक्षर या अंक) लिखें।
- 7 नाम अथवा पता भरते समय दो शब्दों के बीच एक रिक्त स्थान / ब्लॉक छोड़ा जायें।
- 8 आवेदन पत्र में बिन्दु-7 पर अंकित लिंग (SEX) कॉलम में पुरुष हेतु 'M' एवं महिला हेतु 'F' भरें तथा पति पत्नी हेतु 'HW' भरें।
- 9 सम्पत्ति श्रेणी के विषय में पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये विवरण से किसी एक को भरना होगा।
10. आरक्षण की श्रेणी भरने के लिये पंजीकरण पुस्तिका उल्लिखित 'आरक्षण' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में आवेदक पर विचार अनारक्षित श्रेणी में किया जायेगा।
- 11 बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर को लेखा शीर्षक UPHDB (SFS-2014) LUCKNOW जो लखनऊ में देय होगा।
- 12 संलग्नकों के विवरण में कुल संलग्न किये गये अभिलेखों की संख्या व विवरण अंकित करना होगा। बैंक ड्राफ्ट का विस्तृत विवरण आवेदन पत्र के बिन्दु-12 में दिया जायेगा। अतः इस स्तम्भ में मात्र बैंक ड्राफ्ट (उपरोक्तानुसार) लिखा जा सकता है। किन्तु आरक्षण विषयक लाभ लेने हेतु लगाये गये संलग्नकों को सावधानी पूर्वक अंकित कर प्रार्थना-पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।
- 13 पात्रता ड्रा के बाद असफल होने पर धनराशि समय से परिषद द्वारा आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर नोडल बैंक द्वारा सीधे आवेदनकर्ता को बैंक एकाउण्ट के माध्यम से वापिस कर दी जायेगी। उक्त सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में भुगतान में विलम्ब हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का कोई उत्तरदायित्व न होगा तथा इस हेतु विलम्ब के कारण परिषद की ओर से ब्याज आदि देय न होगा। अतः आवेदन पत्र में अपना बैंक एकाउन्ट नम्बर, बैंक का नाम, शाखा एवं शहर व अन्य सूचनाओं का उल्लेख सही व त्रुटिरहित करें। आवेदक द्वारा अपने बैंक खाते का एक निरस्त चैक, आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अत्यन्त सुविधाजनक रहेगा।
- 14 आवेदन-पत्र में केवल आवेदक द्वारा ही हस्ताक्षर किये जायें।
- 15 अपूर्ण आवेदन-पत्र/ आवेदन-पत्रों में कटिंग किये हुए आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। इस विषय में कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
- 16 परिषद से भविष्य में पत्र व्यवहार के समय चालान संख्या, शहर कोड, तथा चरण अवश्य अंकित करें। पंजीकरण संख्या उपलब्ध न होने पर फार्म संख्या अंकित कर दें।
- 17 आवेदन-पत्र जमा करते समय आवेदन-पत्र की छायाप्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें ताकि भविष्य हेतु सन्दर्भ रहें।
- 18 आवेदन-पत्र के साथ पैन कार्ड एवं पहचान-पत्र (आधार कार्ड, वोटर आई0डी0, डी0एल0, पासपोर्ट आदि) की फोटो प्रति संलग्न करना होगा।
- 19 तालिका में दर्शाये गये फ्लैट्स की संख्या घट बढ़ सकती है जिसके सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

**योजना में पंजीकरण एवं आवंटन से सम्बन्धित जानकारी के लिए परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं**

<p><b>श्री जे.बी. सिंह</b> अपर आवास आयुक्त, लखनऊ जोन,</p>	<p><b>डा० अनिल कुमार</b> उप आवास आयुक्त</p>	<p><b>श्रीमती बीना सिंह</b> स्वागत अधिकारी (प्रचार अनुभाग) 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ मो. : 8795811055</p>	<p><b>श्री जगेसर यादव</b> कनि. लेखाधिकारी सं.प्र. कार्यालय, अवध विहार आफिस काम्पलेक्स, सेक्टर-9 वृन्दावन योजना, लखनऊ मो. : 8795811104</p>
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों के निम्न कार्यालयों से सम्पर्क कर सकते हैं।**

<p><b>इं० जयकान्त</b> अधीक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स, इंदिरा नगर, लखनऊ मो. : 8795810030</p>	<p><b>इं० आर.बी. यादव</b> अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-15 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना, लखनऊ मो. 8795810053</p>	<p><b>इं० दिनेश कुमार</b> अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-3 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद वृन्दावन योजना, लखनऊ मो. 8795811388</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)**

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जन जाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
<b>हारिजेन्टल आरक्षण कोड</b>	
मा० विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	<b>F</b>
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	<b>G</b>
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	<b>B</b>
वर्तमान सैनिक, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित	<b>R</b>
समाज के विकलांग व्यक्ति	<b>D</b>
वरिष्ठ नागरिक	<b>O</b>
विदेशी मुद्रा	<b>M</b>



## अवध विहार योजना, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ में प्रस्तावित “नन्दनी एवं गंगोत्री इन्क्लेव” में स्ववित्त पोषित बहुमंजिले फ्लैट्स के आन-लाइन रजिस्ट्रेशन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

उक्त योजना की सम्पत्तियों (फ्लैट्स) के आन-लाइन पंजीकरण (Online Registration) द्वारा आवेदन करने के क्रम में निम्नलिखित दो चरणों (Two Steps) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जायेगा :-

### प्रथम चरण (Step-1) :

#### आन-लाइन पंजीकरण (Registering Online) एवं पंजीकरण धनराशि का भुगतान (Payment of Registration Amount)

- आन-लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक Online Registration For Flats पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "Nandani & Gangotri Enclave, Avadh Vihar Yojna, Sultanpur Road, Lucknow पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना / फ्लैट्स की समस्त जानकारियाँ भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेबपेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियाँ (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित फ्लैट्स आदि विवरण आन-लाइन फील्ड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- 'Submit' करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाइन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी / पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण(Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट-आउट में अंकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी:-

- ✓ Visit website [www.upavp.com](http://www.upavp.com) & click on link "Online Registration of Flats"
- ✓ Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
- ✓ Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
- ✓ Provide the required necessary details & click 'Submit'
- ✓ After clicking on 'Confirm' button 'State Bank MOPS\*' will be available.
- ✓ Applicant can choose anyone option for making payment.

- उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा परिषद खाते में धनराशि अंतरित होने की दशा में, आवेदक को Journal No./State Bank Collect Reference No./Transaction ID प्रदान किया जायेगा।

(नोट-डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक "UPHDB (SFS-2014) Lucknow" के पक्ष में जोकि लखनऊ शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।)

\*MOPS: Multi Option Payment System

## द्वितीय चरण (Step-2) :

### अंतिम रूप से आन-लाइन फार्म जमा करना (Finally Online Form Submission)

- आवेदक द्वारा प्रथम चरणानुसार(Step-1) पंजीकरण धनराशि / आवेदन शुल्क जमा करने के 24 घण्टे / पंजीकरण धनराशि परिषद खाते में अंतरित होने के उपरान्त पुनः परिषद वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) के लिंक Online Registration For Flats पर जाकर संबंधित योजना के वेबपेज पर उपलब्ध लिंक 'Submit Application Details' पर क्लिक किया जायेगा।
- Login Panel के अंतर्गत आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन आई0डी0, पासवर्ड एवं Journal No./Refernece No./Transaction ID भरकर अपना आन-लाइन फार्म खोला जायेगा।
- आवेदक द्वारा अपने ऑन-लाइन आवेदन फार्म में अपना Scanned कलर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड करते हुए अन्य आवश्यक सूचनायें दर्ज की जायेगी।
- तत्पश्चात आवेदक द्वारा अपना आन-लाइन पंजीकरण फार्म Recheck करते हुए 'Submit' करना होगा।
- आन-लाइन रजिस्ट्रेशन फार्म Finally Submit कर अपने आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट दो प्रतियों में प्राप्त किया जायेगा।
- तत्पश्चात रजिस्ट्रेशन फार्म की प्रिन्टेड कॉपी की एक प्रति आवेदक द्वारा समस्त आवश्यक प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रतियों (फोटो आई0डी0 प्रमाण, जाति प्रमाणपत्र आदि) सहित निम्नांकित पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किये जायेंगे :-

"उप आवास आयुक्त  
सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय अवध विहार योजना,  
उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
आफिस काम्पलेक्स-प्रथम तल, वृन्दावन योजना,सेक्टर-9  
रायबरेली रोड, लखनऊ (उ0 प्र0)-226025"

**आनलाइन पंजीकरण की सुविधा निम्नलिखित बैंक में उपलब्ध है।**

क्रमांक	बैंक का नाम	शाखा पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष नं.
1.	भारतीय स्टेट बैंक	जवाहर भवन, लखनऊ	श्री राम सेवक	9565751548